तारीख हुक्म	**प्रकरण संख्या 02/14 कृषि ऋण निवारण शंकरलाल/किशनलाल वगैरह**	

	25.09.17 वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थीगण किशनलाल, नारायणलाल की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 स्टाम्प अधिनियम इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थी साक्ष्य में लिखापढी प्रदर्श 1 को देखने एवं पढने मात्र से स्पष्ट है कि उक्त लिखापढी बॉण्ड की परिभाषा में आती है। उक्त लिखापढी मे स्पष्टतया साक्ष्य में गवाह के हस्ताक्षर है। उक्त स्थिति में प्रार्थी ने गलत रूप से किशनलाल एवं नारायणलाल को पक्षकार बनाया है। जबकि दस्तावेज की दिशापटल से स्पष्ट है कि गवाह को विपक्षी बनाकर गलत बयानी करते हुए उक्त वसूली हेतु मुकदमा दर्ज किया है। दस्तावेज बॉण्ड है उस पर प्रोपर स्टाम्प नही है जो साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य नही है। इस प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी शंकरलाल ने यह कथन किया कि प्रदर्श 1 लिखापढी बॉण्ड नही है । प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य ऋण राशि बाबत इकरार विपक्षी संख्या 1 किशनलाल व विपक्षी संख्या 2 नारायणलाल का है। दोनो पिता पुत्र है। दोनो एक साथ शामिल निवास करते है। दोनो ने प्रार्थी से ऋण प्राप्त कर प्रार्थी की बही में लिखतम प्रदर्श 1 पर हस्ताक्षर किये है जो इकरार की परिभाषा में आती है। इस पर किसी के गवाह के रूप में हस्ताक्षर नही है। यह साक्ष्य में ग्राह्य है। इसका तावान भी जमा करा रहा हू। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभय पक्षकारान के तर्को को सुना। प्रार्थना पत्र एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया । दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी विपक्षीगण ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 5 व उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के 12 (बी) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करा कर यह तर्क दिया कि उक्तानुसार प्रदर्श 1 बॉण्ड की परिभाषा में आता है इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी शंकरलाल की ओर से एआईआर 1953 राजस्थान पेज 211, एआईआर 1962 राजस्थान पेज 62 ने पेश कर यह कथन किया कि उक्त दस्तावेज बॉण्ड की परिभाषा में नही आता है। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रदर्श 1 दस्तावेज जिसके संदर्भ में विपक्षीगण बॉण्ड होना बता रहे है उसी दस्तावेज को प्रार्थीगण इकरार होना बता रहा है इस दस्तावेज की लेखनी के अवलोकन से इसमें यह	

	कही भी वर्णित नही किया गया है कि नारायण जिसकी अंगूठा निशानी इस दस्तावेज पर है वह गवाह के रूप में है । इस लेख प्रदर्श 1 में किशनलाल के द्वारा शंकरलाल से 4,75000/– रूपये उधार लिये लोगो को चुकाने के लिए लिये गये है। इसमें यह कही भी वर्णित नही किय गया है कि नारायणलाल के हस्ताक्षर बतौर गवाह करवाये जा रहे है। धारा 2 की उपधारा 5 स्टाम्प एक्ट के बी खण्ड में यह वर्णित किया गया है :– "Bond" includes- (a) Any instrument whereby a person obliges himself to pay money to another, on condition that the obligation shall be void a specified act is performed, or is not performed, as the case may be: (b) - Any instrument attestet by a witness and not payable to order or bearer, whereby a person obliges himself to pay money to another ; and (c) Any instrument, so attestet, whereby a person obliges himself to deliver grain or other agricultural produce to other ; इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि जहा लिखतम में गवाह के हस्ताक्षर किये जाते है वह बॉण्ड की परिभाषा में सम्मिलित हो जाता है। हस्तगत प्रदर्श 1 लिखतम में किशनलाल ने शंकरलाल से रूपये 4,75000/– लोगो से लिये गये उधार चुकाने के लिए 6 माह के लिए प्राप्त किये थे जिसमें उसके हस्ताक्षर है। साथ ही जिस पर नारायणलाल की अंगूठा निशानी भी है। जो स्पष्टतः प्रकट करती है कि नारायणलाल के हस्ताक्षर बतौर गवाह है क्योकि इस लिखतम में नारायणलाल के द्वारा कोई राशि शंकरलाल ने प्राप्त करना नही लिखा गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण किशनलाल नारायणलाल स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी शंकरलाल को निर्देश दिया जाता है कि वह नियमानुसार प्रदर्श 1 दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क अदा करे । पत्रावली वास्ते अदा होने पंजीयन शुल्क व साक्ष्य वादी में दिनांक 03.11.2017 को पेश हो।	